



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/5/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 54/2025
(DGHRD/ADC-JC/193/2025)
दिनांक: 01.12.2025

अपर/ संयुक्त आयुक्त श्रेणी में निम्नानुसार स्थानान्तरण/ पदस्थापना आदेश, तुरंत प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किए जाते हैं-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	EMP. आईडी	कहाँ से	कहाँ को
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री उत्कर्ष बीर बहादुर सिंह संयुक्त आयुक्त	6952	अंकेक्षण, जयपुर	सीजीएसटी जयपुर

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किए जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ जोधपुर/ अलवर/ उदयपुर/ अंकेक्षण - जयपुर/ अंकेक्षण - जोधपुर/ अपील्स - जयपुर/ अपील्स - जोधपुर/ सीमा शुल्क (निवा.), जयपुर
2. अपर महानिदेशक (एचआरएम-II), मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली
3. अवर सचिव (Ad.II), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली
4. अधीक्षक (एचआरएम-II), मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली को पत्र फा.सं. 8/DB/1/HRD(HRM-II)/2020 दिनांक 01.12.2025 के संदर्भ में
5. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर
6. निजी प्रति - सम्बंधित अधिकारी
7. गार्ड फाइल/ नोटिस बोर्ड
8. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान) - 302005

फोन: 014-2385155; फैक्स: 0141-2385130; ईमेल: ccu-cexjpr@nic.in

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in; ट्वीटर: @CGSTJAIPURZONE